

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>जमुनादास शिवहरे बनाम लोक सूचना अधि० (मुख्य कार्यकारी अधि.जि.प. धौ०)</p> <p>प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005</p> <p>(मु०संख्या 76/2021) (जीसीएमएस न० 2021/176)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये</p>
<p>11.05.2022</p>	<p>अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पेश की है। लोक सूचना अधिकारी को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी धौलपुर ने अपने पत्र क्रमांक: जिपधौ/सू.अ./2022/32 दिनांक 11.5.2022 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना, अपीलार्थी श्री जमुनादास शिवहरे को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक जिपधौ/सू.अ./2021/28 दिनांक 27.08.2021 के द्वारा सूचना उपलब्ध करादी गई है। जिसके पत्र की प्रति पेश की है।</p> <p>अतः इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई बांछित सूचना अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. धौलपुर के पत्र क्रमांक जिपधौ/सू.अ./2021/28 दिनांक 27.08.2021 के द्वारा सूचना उपलब्ध करादी गई है। पत्र की प्रति संलग्न कर पेश की है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।</p>	

(आर के जायसवाल)  
जिला कलेक्टर, धौलपुर

धौलपुर

4